# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 45/2018

प्रविष्टि दिनांक 24.05.2018

भेरू पुत्र छीतर जाति जाट निवासी रूपवास तहसील उनियारा हाल निवासी खलीलपुरा पापडा तहसील व जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला—टोक

—रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 16.01.2018 मिसल नम्बर 526/2018**

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी,अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

**निर्णय** **दिनांक 20.10.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2018 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1142,492/1244 रकबा 1.12 है0 किस्म बजड/बारानी—3 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर गेहूॅ/सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 448/रू. पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुइ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नही मंगवाई गई है और ना ही स्वंय द्वारा मौका देखा गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व [illegible] रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का किसी भी प्रकार से उक्त [illegible] अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत कोई साक्ष्य–सबूत भी नही है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1142,492/1244 रकबा 1.12 है0 किस्म बजड/बारानी–3 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ/सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की से पुत्र की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1142,492/1244 रकबा 1.12 है0 किस्म बजड/बारानी–3 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.10.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही है। विवादित आराजी पर मेरा कभी कब्जा नही रहा तथा ना ही वर्तमान मे है तथा ना ही कभी भविष्य मे करूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 16.01.2018 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chiranjee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)